न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./30/2025

1. बच्चू सिंह आयु 60 साल पुत्र रामखिलाडी
2. रामेश्वर आयु 40 साल पुत्र रामखिलाडी
3. महेश आयु 33 साल पुत्र स्व0 रामखिलाडी
4. योगेश आयु 30 साल पुत्र सूपरिया
5. वीरी सिंह आयु 60 साल पुत्र जल सिंह
6. सुरेश आयु 40 साल पुत्र जल सिंह

समस्त जातियान जाट निवासी ग्राम चिताहेडी तहसील नदबई जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1. मोहर सिंह आयु 60 साल पुत्र बुद्धी
2. राजेन्द्र आयु 50 साल पुत्र बुद्धी
3. मुसम्मता विमला वेवा रामस्वरूप
4. थान सिंह पुत्र बुद्धी

समस्त ग्राम चिताहेडी तहसील नदबई जिला भरतपुर

...... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई वमुकदमा संख्या–36/2022 उनवानी मोहर सिंह वगै0 बनाम रामखिलाडी वगै0

उपस्थितः–

1–श्री गौरीशंकर शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी0,

निर्णय **दिनांक 12.09.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्डाधिकारी नदबई इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक मुकदमा संख्या 36/2022 उनवानी मोहर सिहं वगै0 बनाम रामखिलाडी वगै0 न्यायालय उपखण्डाधिकरी नदबई में लम्बित है। उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी सबूत तथा दस्तावेज पेश करने का समय नहीं दे रहे हैं तथा तारीख पेशी भी नजदीक दे रहे हैं। पीठासीन अधिकारी गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उपखण्डाधिकारी नदबई से बात करते हुये एवं उनके चैम्बर से कई बार निकलते हुये देखा है। इस आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को यह ऐलानियॉ धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से हमारी बातचीत हो गई हैं मुकदमे का फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 36/2022 उनवानी मोहर सिहं वगै0 बनाम रामखिलाडी वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा में बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी सबूत तथा दस्तावेज पेश करने का समय नहीं दे रहे हैं प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उपखण्डाधिकारी नदबई से बात करते हुये एवं उनके चैम्बर से कई बार निकलते हुये देखा है। इस आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को यह ऐलानियॉ धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से हमारी बातचीत हो गई हैं मुकदमे का फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 36/2022 उनवानी मोहर सिहं वगै0 बनाम रामखिलाडी वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपखण्डाधिकारी नदबई ने टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। विचाराधीन मुकदमे में पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी0 की उपखण्डाधिकारी नदबई से कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी मुकदमे का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर